



उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 19 माघ, शक संवत् 1945

(08 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-नेता सदन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2023 (दिनांक 28-11-2023 से दिनांक 01-12-2023 तक) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण नियमावली के नियम-115 (4) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

3-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा वर्ष 2019-20 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-ऊर्जा मंत्री, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का अट्टारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में यूनानी फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भर्ती भारतीय संविधान तथा आरक्षण नियमावली के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-उप मुख्य मंत्री, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के बैकलाग पदों/सामान्य विज्ञापन हेतु जारी अधिसूचना संख्या-75/बी-2022, दिनांक 12-07-2022 के सामान्य विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया में

आरक्षण नियमों में उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र उत्तम व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के पलिया हवाई अड्डे के नवीनीकरण के साथ-साथ इण्टर स्टेट एयर कनेक्टिविटी करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में विगत 04 वर्षों से हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला प्राविधिकों को यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में नियुक्त प्रयोगशाला प्राविधिकों की भांति ग्रेड वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र उत्तम व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-पर्यटन मंत्री, जनपद-शाहजहांपुर के तहसील-पुवायों के मुडिया कुर्मियान गांव स्थित 52 दरवाजे का ठाकुर जी का मन्दिर एवं उसके आस-पास के स्थलों की आगामी कार्य योजना में सम्मिलित कर कायाकल्प एवं सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश में स्टेट ट्रामा एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकांत महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर अंकुश लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई व श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री, मुफ्ती अब्दुल कादिर, प्रधानाचार्य, मदरसा कालिमुल उलूम, मंगरवां, जनपद-आजमगढ़ के वेतन का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-पशुधन मंत्री, पशुपालकों से गोबर एवं गौमूत्र की सरकारी खरीद कर उससे जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जीवामृत व ग्रोथ प्रमोटर निर्माण करने की परियोजना निर्मित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकांत महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री, उत्तर प्रदेश में मदरसों के शिक्षक/कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 का भुगतान चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

16-उप मुख्य मंत्री, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के बैकलॉग पदों/सामान्य विज्ञापन हेतु जारी अधिसूचना संख्या-75/बी-2022 की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों में किये गये उल्लंघन के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

17-उप मुख्य मंत्री, उ0प्र0 के मेडिकल कालेजों और पोस्ट ग्रेजुएट संस्थाओं में रेजीडेन्ट चिकित्सकों के साथ हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

18-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री, प्रदेश में अरबी फारसी मदरसों से सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2016 में प्रकाशित नियमावली शिक्षकों के हितों के सर्वथा दोषपूर्ण एवं विपरीत होने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

19-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नवागाँव, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सराय नदी के किनारे लगभग आठ किलोमीटर पौधारोपण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

20-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नवागाँव, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से नवागाँव की बाजार में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

21-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत अखिलेशपुरम् कालोनी, वार्ड संख्या-1, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

22-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत आचार्य द्विवेदी नगर, वार्ड संख्या-8, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

23-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत गंगाजीपुरम् कालोनी, निकट एस0जी0पी0आई0, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

24-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

25-निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किये जायेंगे :-

- (1) श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद्। “इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में न्याय में विलम्ब, न्याय से वंचित होने के समान है।”
- (2) श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद्। “इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय विस्तारीकरण की महत्वाकांक्षी योजना में बाधक बने भू-माफियाओं पर अंकुश लगाते हुये कठोर कार्यवाही की जाय।”

लखनऊ :

गुरुवार, 19 माघ, शक संवत् 1945
(08 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

8 फरवरी, 2024

विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2024) का प्रथम गुरुवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
*1	19-1-2024
*2	19-1-2024
*3	19-1-2024
*4	19-1-2024
*5	19-1-2024
*6	19-1-2024
*7	21-1-2024
*8	21-1-2024
*9	21-1-2024
*10	21-1-2024
*11	25-1-2024
*12	25-1-2024
*13	25-1-2024
*14	25-1-2024
*15	25-1-2024
*16	25-1-2024
*17	25-1-2024

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
---------------	-------------------------------------

अतारांकित प्रश्न

1	19-1-2024
2	25-1-2024
3	25-1-2024
4	25-1-2024
5	25-1-2024
6	25-1-2024
7	25-1-2024
8	25-1-2024
9	25-1-2024



नत्थी 'क'

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने की कार्य योजना के साथ उन्हें जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव

1

*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराये जाने की वर्तमान में कोई कार्य योजना है ?

(ख) क्या प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक चिकित्सकों को भेज कर बढ़ती मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों को जागरूक कराते हुए उन्हें मूलभूत दवाइयाँ प्रदान किये जाने की भी कोई योजना है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

उप मुख्य मंत्री

श्री आशुतोष सिन्हा

2

*2-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग
कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा
सुविधाओं का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
3

*3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रदेश में संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्मियों को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ कब तक प्रदान करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद हरदोई के नवनिर्मित राज्य स्वशासी महाविद्यालय में
ब्लड बैंक व कर्मचारियों को स्थानान्तरित कराये जाने के
सम्बन्ध में**

श्री अशोक अग्रवाल
4

*4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद हरदोई के नवनिर्मित राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ब्लड बैंक को कर्मचारियों सहित 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई में स्थानान्तरित किये जाने एवं राज्य चिकित्सा महाविद्यालय हरदोई में नवीन ब्लड बैंक स्थापित किये जाने विषयक आपको एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित माधवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक, सवायजपुर, हरदोई का पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2023 तथा रामपाल वर्मा, विधायक, बालामऊ, हरदोई का पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2023 प्राप्त हुए हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त ब्लड बैंक, कर्मचारियों सहित 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई में स्थानान्तरित करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्राइवेट डाक्टर्स द्वारा लिखी गयी दवाइयों को उन्हीं के
मेडिकल स्टोर पर मिलने के सम्बन्ध में नीति
बनाये जाने के सम्बन्ध में**

श्री शाहनवाज खान
5

*5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं वो सिर्फ उन्हीं के मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, बाकी स्टोर पर नहीं, जिस वजह से मरीजों का उत्पीड़न होता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई नीति बनाई है ?

(ग) यदि हाँ, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

(घ) यदि कोई नीति नहीं बनाई गयी है, तो क्या सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ?

जनपद-सिद्धार्थनगर में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 11 जनवरी, 2024 तक कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन एवं उन्हें कुपोषण से बचाने में सरकारी धन के हुये दुरुपयोग के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
6

*6-(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 11 जनवरी, 2024 तक कितने कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया तथा उनमें से कितने बालक एवं कितनी बालिकायें थीं ?

बाल विकास एवं
पुष्टाहार मंत्री

(ख) उक्त बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ?

(ग) क्या जनपद-सिद्धार्थनगर में कुपोषण से कुपोषित बच्चों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दी गई संख्या कमोवेश एक दशक से एक ही जैसी है और खुलेआम सरकारी धन और प्रदत्त सामग्रियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

(घ) क्या उक्त की उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रदेश में फार्मासिस्टों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं उक्त पदों के सापेक्ष तैनात फार्मासिस्टों की संख्या के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
7

*7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) स्वीकृत फार्मासिस्टों के कुल पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पदों पर फार्मासिस्ट तैनात हैं ?

(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राइवेट हास्पिटल्स में निर्धारित बेड संख्या एवं उनकी बीमारी को हास्पिटल के पटल बोर्ड पर प्रदर्शित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
8

*8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्राइवेट हास्पिटल्स के लिए बेड संख्या कितनी है और वे किस बीमारी का इलाज करते हैं और उसे हास्पिटल के बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका अनुपालन हो रहा है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त नियमों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करायेंगे ?

मदरसा मिनी आईटीआई में कार्यरत अनुदेशकों/कार्मिकों के वेतन/मानदेय के भुगतान हेतु बजट का आवंटन समय से कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

9

*9-(क) क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बतायेंगे कि मदरसा मिनी आईटीआई में कार्यरत अनुदेशकों/कार्मिकों के वेतन/मानदेय के भुगतान हेतु बजट का आवंटन वार्षिक, छमाही या तिमाही किया जाता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त बजट का आवंटन 06 किस्तों में होने के कारण वेतन/मानदेय का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है ?

(घ) इसका औचित्य क्या है और इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

(ङ) क्या पूर्व की भाँति उक्त अनुदेशकों/कार्मिकों के वेतन एवं मानदेय के भुगतान हेतु बजट का आवंटन छमाही कराना सुनिश्चित करायेंगे ?

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा

10

*10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक सी0ए0जी0 की वर्ष 2023 में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल कितने रुपयों की अनियमिततायें पायी गयीं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितने दोषियों पर कार्यवाही हुई ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-उन्नाव मुख्यालय के उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सकों व स्टॉफ की तैनाती के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल

11

*11-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद उन्नाव मुख्यालय के उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय (महिला एवं पुरुष) में चिकित्सकों व

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

उप मुख्य मंत्री

उप मुख्य मंत्री

कार्मिकों के सृजित पदों के सापेक्ष दिनांक 31-12-2023 तक रिक्त पदों का विवरण क्या है ?

(ख) जनहित में उक्त रिक्त पदों पर चिकित्सकों व स्टाफ की तैनाती कब तक करायेंगे ?

निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, रायबरेली रोड, लखनऊ के पत्र दिनांक 09-08-2023 में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में

श्री अशोक अग्रवाल

12

*12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, रायबरेली रोड, लखनऊ के पत्र संख्या पी0जी आई0/अधि0/आर0एस0ओ0-208/17 (या-3)/559/2023, दिनांक 09-08-2023 जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्रेषित है, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गैर संकायी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सदृश्य हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता आदि दिये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा शासन द्वारा उक्त के आदेश दे दिये गये हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में पोस्टमार्टम हाउस स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव

13

*13-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में भर्ती/दुर्घटना के समय हुई मृत्यु के पश्चात् पोस्टमार्टम हेतु पार्थिव शरीर को इटावा जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस में भेजा जाता है, जिससे मृतक के परिवारजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उपरोक्त समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में ही पोस्टमार्टम हाउस स्थापित करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद उन्नाव मुख्यालय में नार्मल स्कूल के समीप महिला
डिग्री कालेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण कराये
जाने के सम्बन्ध में**

श्री राज बहादुर सिंह
चन्देल
14

*14-(क) क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव मुख्यालय में नार्मल स्कूल के समीप अल्पसंख्यक विभाग द्वारा महिला डिग्री कालेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिये कुल अनुमोदित धनराशि रुपया 477.50 लाख कार्यदायी संस्था के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है ?

अल्पसंख्यक
कल्याण मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कालेज भवन का निर्माण कराकर कक्षाओं का संचालन कब तक प्रारम्भ करायेंगे ?

**के0जी0एम0यू0, लखनऊ में विभागवार आरक्षित पदों पर की
जा रही भर्ती के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर
15

*15-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में विभागवार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उसमें आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो आरक्षित पदों पर की जा रही भर्ती का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जिला चिकित्सालय, उन्नाव में एम0 आर0 आई0 मशीन का
संचालन करने के लिये तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति
करने के सम्बन्ध में**

श्री राज बहादुर सिंह
चन्देल
16

*16-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, उन्नाव में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कब की गयी है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) उक्त मशीन का संचालन करने के लिये तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति कब तक करायेंगे ?

**उ0प्र0 के स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात ए0एन0एम0
का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर
17

*17-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि उ0प्र0 के स्वास्थ्य विभाग में ए0एन0एम0 की भर्ती संविदा पर की जाती है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें पारिश्रमिक के तौर पर कितना वेतन दिया जाता है, उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे ?

(ग) क्या स्वास्थ्य विभाग में ए0एन0एम0 में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त लागू करते हुए संविदा पर तैनात ए0एन0एम0 का वेतन बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारंकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह

1

1-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के ग्राम कमरसेपुर में शंकर जी के मन्दिर तक पहुँचने का रास्ता व पीने के पानी की समस्या को लेकर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री

डा0 मान सिंह यादव

2

2-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि सीसामऊ अनवरगंज तहसील सदर जनपद-कानपुर नगर में विधवा पेंशन आवेदन संख्या-313721120332 के साथ ही दिनांक 01 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

(ख) क्या उक्त विधवा पेन्शन लाभार्थियों के खातों में भेज दी गयी है ?

(ग) क्या उक्त के नाम/पत्तों सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण मंत्री

श्री अशोक अग्रवाल

3

3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र सं0-पी0जी0आई0/अधि0/आर0एस0डी0-208/17 (वा-3)/559/2023, दिनांक 09-08-2023 जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है ? प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र का विवरण क्या है ?

(ग) क्या उक्त पत्र पर एस0जी0पी0जी0आई0 प्रथम विनियमावली, 2011 के नियम-74 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री

श्री अशोक अग्रवाल

4

4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि चिकित्सा अधीक्षक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र सं0-पी0जी0आई0/एम0एस0/755/2023, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग से कोविड में किये गये कार्यों पर मानदेय/प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान हेतु विभाग में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, डाटा इंटी आपरेटर, लैब अटेन्डेन्ट एवं सफाई कर्मियों की मांगी गई अलग-अलग सूची चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को किस तिथि को प्राप्त हुई है, उनके नाम का विवरण क्या है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उपरोक्त सूची में उल्लिखित कर्मियों को मानदेय/प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान करा दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह

5

5-[अन्तरित]

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह

उर्फ पूनम सिंह

6

6-[अन्तरित]

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह

उर्फ पूनम सिंह

7

7-[अन्तरित]

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह

उर्फ पूनम सिंह

8

8-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-कैथी, वि0ख0-चोलापुर, जनपद-वाराणसी में पूर्व में होम्योपैथिक अस्पताल/डिस्पेंसरी का संचालन किराये के भवन में होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करा दिया गया है ?

आयुष राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या पुनः नये सरकारी भवन का निर्माण कराकर ग्रामीणों की सुविधा हेतु उक्त होम्योपैथिक अस्पताल/डिस्पेंसरी का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह

9

9-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तैनाती न होने से मरीजों को आयुष औषधियों की चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा है ?

आयुष राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?



नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कसमण्डा के ग्राम पंचायत-नवागांव में सराय नदी के किनारे लगभग 08 किमी0 तक पौधरोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नवागांव से होकर सराय नदी निकलती है, जिसकी नवागांव में सीमा लगभग 08 किमी0 होगी। ग्राम पंचायत नवागांव में सराय नदी के किनारे पर्यावरण हित के दृष्टिगत पौधरोपण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्रामपंचायत नवागांव में सराय नदी के किनारे लगभग 08 किमी0 तक पौधरोपण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कसमण्डा के ग्राम पंचायत-नवागांव के बाजार में (पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना) के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे निवेदन है कि विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नवागांव में सप्ताह के दो दिन रविवार व गुरुवार को बाजार लगती है। बाजार में प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण रात्रि के समय ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-नवागांव के बाजार में (पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना) के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत वार्ड संख्या-1 के अखिलेशपुरम कालोनी में भाजपा कार्यालय के सामने स्थित मुख्य मार्ग से डा0 आंजनेय वर्मा के आवास तक लगभग 500 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि हम सभी प्रार्थी जनपद रायबरेली के नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या-1 के अन्तर्गत अखिलेशपुरम कालोनी के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी में भाजपा कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग से

डा0 आंजनेय वर्मा के आवास तक मार्ग बहुत जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है, बरसात के मौसम में जलभराव के कारण स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि अखिलेशपुरम कालोनी में भाजपा कार्यालय के सामने स्थित मुख्य मार्ग से डा0 आंजनेय वर्मा के आवास तक (अनुमानित लम्बाई लगभग 500 मीटर) सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत वार्ड संख्या-8 के आचार्य द्विवेदी नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से श्री सुरेश गुप्ता पुत्र शम्भू नाथ के आवास तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि हम सभी प्रार्थी जनपद रायबरेली के नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या-8 के अन्तर्गत आचार्य द्विवेदी नगर के निवासी हैं। हमारे क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से श्री सुरेश गुप्ता पुत्र शम्भू नाथ के आवास तक इण्टरलॉकिंग (लम्बाई लगभग 400 मीटर) मार्ग बहुत ही जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है, बरसात में जलभराव के कारण स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि आचार्य द्विवेदी नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से श्री सुरेश गुप्ता पुत्र शम्भू नाथ के आवास तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत नियर एस0जी0पी0जी0आई0 चरन भट्टा रोड से सम्पर्क मार्ग, गंगाजीपुरम् कालोनी के पास स्थित श्री प्रकाश कुशवाहा के मकान से श्री प्रदीप सिंह के मकान तक तथा एन्ड्रोफिलिप के घर से गंगेश्वर मन्दिर से होते हुये डा0 सुशील सिंह के घर तक लगभग 01 किलोमीटर क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि चरन भट्टा रोड से सम्पर्क मार्ग गंगाजीपुरम् कालोनी, नियर एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ की रोड प्रकाश कुशवाहा के घर से प्रदीप सिंह के घर तक तथा एन्ड्रोफिलिप के घर से गंगेश्वर मन्दिर से होते हुये डा0 सुशील सिंह के घर तक लगभग एक किलोमीटर रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि चरन भट्टा रोड से गंगाजीपुरम् कालोनी के पास स्थित श्री प्रकाश कुशवाहा के मकान से श्री प्रदीप सिंह के मकान तक तथा एन्ड्रोफिलिप के घर से गंगेश्वर मन्दिर से होते हुये डा0 सुशील सिंह के घर तक लगभग 01 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

13 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।
